कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड़, भोपाल–462011

क्रमांक 3938 /ना.तौ. /अ–1(1)प्रवर्तन /2012 भोपाल, दिनांक: 19-10-12

—:: आदेश ::—

उपभोक्ता मामले, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. 576 (अ) दिनांक 18 जुलाई 2012 के द्वारा, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निदेशक विधिक मापविज्ञान की मुझे प्रदत्त शक्तियों में से, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 13 की उप धारा 7 के अंतर्गत मैं एस. के. जैन, नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, म0 प्र0, एतद् द्वारा म0 प्र0 राज्य के समस्त सहायक नियंत्रक एवं उप नियंत्रक विधिक मापविज्ञान को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत, निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 27, 28, 30, 33, 34, 35 एवं 36 के अंतर्गत दण्डनीय उल्लंघनों के मामलों में से ऐसे मामले जिनके अभियुक्त धारा 49 के अंतर्गत आते हैं को अपवर्जित करते हुए शेष मामलों के प्रशमन हेतु व अभियुक्त /अभियुक्तों के मामले दण्ड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाने की शक्तियां इस शर्त पर प्रत्यायोजित करता हूँ कि उक्त उपबंधों के अधीन दर्ज किये गये, प्रशमन किये गये, अभियोजित और सिद्ध दोष मामलों की संख्या सहित की गई कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट मेरे कार्यालय को भेजी जाए।

Sd/-
(एस. के. जैन)
नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0 प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 3939 /ना.तौ. /अ–1(1)प्रवर्तन /2012 भोपाल, दिनांक: 19-10-12

प्रतिलिपि :–

1– संयुक्त नियंत्रक /दाशमिक अधिकारी, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मुख्यालय।
2– समस्त उप /सहायक नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप प्रशमन किये जाने /न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाने संबंधी जारी किये जाने वाले आदेश में संबंधित द्वारा किस प्रावधान का उल्लंघन किया है वह स्पष्टतः उसके नाम के समक्ष अंकित करेंगें।
3– समस्त निरीक्षक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

आदेश में अंकित अधिसूचना की छायाप्रति इस आदेश के पीछे है।

Sd/-
नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0 प्र0 भोपाल

कृपया पीछे देखें।